राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भूरी देवी बनाम अजय कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2128/2025, 2129/2025, 2089/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व काउन्टर क्लेम के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2128/2025, 2129/2025, 2089/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/06/2026 को पेश हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
03/06/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि भूरी देवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/10/2025 पारित करते हुये तहसीलदार कालवाड को ग्राम तिवाड़ीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र व तहसील कालवाड़ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 41/68 रकबा 7.0820 हैक्टेयर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 21 की पालना करते हुये यथासम्भव कब्जे को ध्यान में रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09/10/2025 के विरुद्ध अपील संख्या 2128/2025, 2129/2025, 2089/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस तीनो पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी	चूँकि तीनो अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है	अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से तीनो अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है	निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकीयात को अलग-अलग विवेचित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सरसरी तौर पर ही पारित करते हुये काउन्टर क्लेम को ख़ारिज कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है, जो विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरित प्रतीत होता है	ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09/10/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे	तदनुसार तीनो राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भूरी देवी बनाम अजय कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2128/2025, 2129/2025 2089/2025	

अपील संख्या क्रमश: 2128/2025, 2129/2025, 2089/2025 स्वीकार की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर